# मध्यप्रदेश विधान सभा

**क्रमांक-16**

## संक्षिप्त कार्य विवरण

**पत्रक भाग-एक**

**बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2005 (फाल्गुन 18, 1926)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

### 1. निधन उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व सदस्य विधानसभा, श्री किशोरीलाल हंस के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

श्री बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री, श्रीमती जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष, सदस्य श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा तथा श्री रामलखन शर्मा ने भी शोकोद्‌गार प्रकट किये।

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोकसंतप्त जन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10.37 बजे 5 मिनिट के लिए स्थगित होकर 10.43 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

### 2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये तथा द्वितीय चक्र में 3 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 108 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 96 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(डॉ. सुनीलम्, श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री नारायण त्रिपाठी, श्री अर्जुन पलिया तथा श्री रामलखन शर्मा सदस्य शून्यकाल के दौरान माननीय विधायक डॉ. सुनीलम् एवं श्री जुगुल किशोर बागरी के साथ घटित घटना के संबंध में दी गई सूचना पर चर्चा की मांग करते हुए गर्भगृह में आ गये तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा चर्चा कराने का आश्वासन दिये जाने पर वापस अपने आसन पर चले गये।)

## 3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री निशिथ पटेल, सदस्य ने जबलपुर जिले के सेठ गोविंददास चिकित्सालय में पेंशनरों को दवाई का वितरण न किये जाने,

(2) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य ने मंडला जिले के डिण्डोरी सब डिविजन से विद्युत सप्लाई न होने,

(श्रीमती जमुना देवी, नेताप्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शून्यकाल में उनकी बात न सुनी जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले में सिंध से लगातार रेत का अवैध उत्खनन किये जाने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने ग्वालियर नगर के बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों से अवैध रूप से शुल्क लिये जाने, तथा

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.**

(5) पंडित रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के कृषि उपज मंडी चौरई में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य ने भोपाल स्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय में विधायक के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य द्वारा माननीय विधायकों की पिटाई पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) सर्वश्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, भूपेन्द्र आर्य, सदस्य ने खरगोन अवंती सूत मिल बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश चावला, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य की पन्ना जिले के -

(क) ग्राम सलैया फेरन सिंह में जनारी नाले पर पुलिया बनाये जाने,

(ख) ग्राम रूपझिर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाये जाने,

(ग) ग्राम करिया स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(घ) ग्राम तिघरा से करिया तक पहुंच मार्ग बनाये जाने,

(ङ) ग्राम ताला में जुन्ना नाला पर स्टापडेम-कम-रपटा बनाये जाने,

(च) ताला नदी के चकदई घाट पर रपटा बनाये जाने,

(छ) ग्राम रेहुटा में पशु औषधालय भवन बनाये जाने,

(ज) ग्राम बिरसिंहपुर-सुनेही के नालों पर पुल एवं रपटा बनाये जाने,

(झ) ग्राम कृष्णगढ़ में अस्पताल भवन बनाये जाने एवं डाक्टर की व्यवस्था किए जाने,

(ञ) ग्राम सुनवानी खुर्द एवं सुनार व्यारमा नदी पर रपटा बनाये जाने,

(ट) ग्राम मिहगवां-तिलिया में नदी पर रपटा बनाये जाने,

(ठ) ग्राम कचौरी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ड) ग्राम महोड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ढ) कृष्णगढ़-पिपरिया मार्ग का निर्माण कराये जाने, एवं

(ण) झिराटा नदी के झिन्ना घाट का निर्माण कराये जाने,

(2). श्री जगन्नाथ सिंह, सदस्य की रीवा जिले के-

(क) ग्राम कोलौरा में अवैध कब्जा हटाये जाने, एवं

(ख) ग्राम कोलौरा में पेयजल टंकी से जल प्रदाय कराने एवं टंकी के पास से अतिक्रमण हटाये जाने,

(3) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य की शिवपुरी जिले के -

(क) ग्राम कैनवाहा के पास सिंध नदी पर रपटा बनाये जाने,

(ख) ग्राम टोंगरा में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने, एवं

(ग) शिवपुरी नगर के वार्ड क्र. -17- तुलसी नगर से शराब की दुकान हटाये जाने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम रघुनाथपुर स्थित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासनाधीन किये जाने,

(5) श्री कमल पटेल, सदस्य की हरदा जिले के-

(क) माचक उप नहर को रेलवे लाईन पार कराकर नहर निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम रिछाड़िया, नानी मकड़ाई, भवरदी एवं कुकड़ापानी की नदियों पर बांध बनाये जाने, एवं

(ग) खिरकिया नगर में 132 के.वी. का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने,

(6) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की ग्वालियर जिले के-

(क) ग्राम चिनोर से करहिया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम मकोड़ा से लदवाया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम मकोड़ा से आंतरी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गई।

## 6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री की सदन से अनुपस्थिति के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 1 सन् 2005) को कल दिनांक 10.03.2005 को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।

(2) चौधरी चन्द्रभान सिंह, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005) को सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

## 7. वर्ष 2004-2005 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 55, 56, 62, 63, 64, 66, 67, 79, 80, 81, 82 तथा 84 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर ग्यारह सौ चौवन करोड़, सतानवें लाख, बयासी हजार, चार सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.**

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा

(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) डॉ. सुनीलम्

(5) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(6) श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3, तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

## 9. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री हरनाम सिंह राठौर, जेल मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 5 | जेल के लिए सड़सठ करोड़, इकतालीस लाख, पचपन हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 18 | श्रम के लिए तैतालीस करोड़, उनसठ लाख, दस हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 86 | ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-जेल के लिए दो हजार रूपये, |

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| **मांग संख्या** | **कटौती प्रस्ताव क्रमांक** |
|---|---|
| मांग संख्या - 18 | 3,4 |

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

**सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.**

(2) श्री धरमू राय

(3) डॉ. सुनीलम

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

(4) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(5) श्री रामलखन शर्मा

(6) श्री ध्रुव प्रताप सिंह

(7) श्री शंकर लाल तिवारी

**उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.**

(8) श्री गजराज सिंह सिकरवार

(9) श्री दिलीप सिंह गुर्जर

(10) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

श्री हरनाम सिंह राठौर, जेल मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

| | |
|---|---|
| अनुदान संख्या - 23 | जल संसाधन के लिएसात सौ छियासी करोड़, तैतीस लाख, इकतीस हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 40 | जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट के लिए तेरहकरोड़, सात लाख, बावन हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 45 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए एक सौ चौदह करोड़, तेईस लाख, चौरानवे हजार रूपये |
| अनुदान संख्या - 46 | नर्मदा घाटी विकास के लिए बारह सौ चौहत्तर करोड़, तीन हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 57 | जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक सौ छियासठ करोड़, चौहत्तर लाख, छियालीस हजार रूपये, |
| अनुदान संख्या - 75 | जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक सौ उनहत्तर करोड़, चौदह लाख रूपये, तथा |
| अनुदान संख्या - 78 | नर्मदा घाटी विकास से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक सौ सतहत्तर करोड़, तेरह लाख, उन्नीस हजार रूपये, |

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव क्रमांक |
|---|---|
| मांग संख्या - 23 | 1,5 |
| मांग संख्या - 45 | 6,9 |

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(3) डॉ. सुनीलम्
(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(6) श्री कमल पटेल
(7) श्री अजय सिंह
(8) श्री गिरिराज मण्डलोई
(9) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

**(चर्चा अपूर्ण)**

6.04 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2005 (फाल्गुन 19, 1926) के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**